



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण, 1946 (श०)

संख्या - 785 राँची, सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

कार्यालय आदेश

9 अक्टूबर, 2024

संख्या-4/स्था०-801/2024 का. 110--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या- 4809 दिनांक-23.07.2024 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री ज्ञानेन्द्र यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची में पदस्थापित किया गया है ।

2. उक्त अधिसूचना की कंडिका-2 में सम्बन्धित नियंत्री पदाधिकारियों को अपने विभाग में पदस्थापित सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारियों को नव पदस्थापित विभाग में दिनांक- 05.08.2024 तक विरमित करने का निदेश दिया गया है ।

3. श्री ज्ञानेन्द्र यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके विभाग द्वारा अबतक विरमित नहीं किया गया है। कार्यहित में श्री ज्ञानेन्द्र यादव को दिनांक- 09.10.2024 के प्रभाव से स्वतः विरमित किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

रवि आनन्द,
सरकार के संयुक्त सचिव।
